न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/834

1. मंगी उर्फ कौशल्या देवी उम्र 51 वर्ष पुत्री स्व. कजोड मल गुर्जर पत्नि श्री मोहनलाल गुर्जर निवासी झीझण हाल निवासी ग्राम भोजपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान।

— अपीलान्ट

बनाम

1. नर्बदा देवी पुत्री स्व. कजोड मल गुर्जर पत्नी रामचन्द्र गुर्जर निवासी भालपुर तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

— रेस्पोडेन्ट्स

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार सिकराय निर्णय दिनांक 27.12.2024 जो प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम जो प्रकरण संख्या 07/2024 अनुवानी नर्बदा देवी बनाम राज. सरकार वगै0 पर पारित किया गया।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/835

1. मंगी उर्फ कौशल्या देवी उम्र 51 वर्ष पुत्री स्व. कजोड मल गुर्जर पत्नि श्री मोहनलाल गुर्जर निवासी झीझण हाल निवासी ग्राम भोजपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान।

— अपीलान्ट

बनाम

1. नर्बदा देवी पुत्री स्व. कजोड मल गुर्जर पत्नी रामचन्द्र गुर्जर निवासी भालपुर तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

— रेस्पोडेन्ट्स

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध तहसीलदार सिकराय जो नामान्तकरण संख्या 182 दिनांक 30.12.2024 ग्राम सरूण्डला तहसील सिकराय पर पारित किया गया है।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/836

1. मंगी उर्फ कौशल्या देवी उम्र 51 वर्ष पुत्री स्व. कजोड मल गुर्जर पत्नि श्री मोहनलाल गुर्जर निवासी झीझण हाल निवासी ग्राम भोजपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान।

— अपीलान्ट

बनाम

1. नर्बदा देवी पुत्री स्व. कजोड मल गुर्जर पत्नी रामचन्द्र गुर्जर निवासी भालपुर तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध तहसीलदार सिकराय जो नामान्तकरण संख्या 167 दिनांक 30.12.2024 ग्राम झीझण तहसील सिकराय पर पारित किया गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित :–

1. श्री सतीश कुमार पारीक, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री अशोक कुमार जोशी, रेरपोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता रेसपोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :— 09.03.2026

1. यह तीनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सिकराय जिला दौसा के निर्णय दिनांक 27.12.2024 एवं तहसीलदार सिकराय जिला दौसा के निर्णय दिनांक 27.12.2024 की पालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण 182 दिनांक 30.12.2024 ग्राम सरूण्डला एवं नामान्तरकरण संख्या 167 दिनांक 30.12.2024 ग्राम झीझण के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। तीनों प्रकरणों में तथ्य, पक्षकार एवं निर्धारण योग्य बिन्दु एक समान है। अतः इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावे।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नर्बदा देवी पुत्री कजोडमल गुर्जर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा के समक्ष अपने पिता की खातेदारी की भूमि में विरासत का नामान्तरकरण दर्ज कराने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मेरे पिता का स्वर्गवास दिनांक 09.05.2023 को हो चुका है। मेरे पिता की भूमि वाके मौजा ग्राम सरूण्डला पटवार मण्डल सरूण्डला के खाता संख्या 130–111 के खसरा नम्बर 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 व खाता संख्या 130–110 के खसरा नम्बर 1, 2, 3 व ग्राम झींझण पटवार मण्डल सरूण्डला के खाता नंबर 116 व खाता संख्या 38–35 के ख0नं0 273 व खाता सं0 42–40 के खसरा नं0 262, 263 पर खातेदारी दर्ज है। जिनके हम वारिसान निम्न सजरा के अनुसार हैः–

कजोडमल गुर्जर पुत्र कुंजा राम गुर्जर (फौत)

I

नर्बदा देवी (पुत्री)

उपरोक्त सजरा के अतिरिक्त अन्य कोई विधिक वारिस अथवा गोद गया हुआ नहीं है। उक्त वर्णित सजरा के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का निवेदन किया गया। जिस पर तहसीलदार सिकराय ने प्रकरण धारा 135 (2) के तहत दर्ज किया गया। तहसीलदार सिकराय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.12.2024 द्वारा उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा के समक्ष पटल पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज, प्रार्थना पत्र, गवाहों के बयानात, ग्राम पंचायत/सरूण्डला सहित वर्तमान एवं भूतपूर्व ख्यातिप्राप्त स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अधिप्रमाणन एवं भू–अभिलेख निरीक्षक के प्रतिवेदन के सुक्ष्म अवलोकन, ध्यानपूर्वक पठन, गहन चिंतन, स्वतंत्र मनन एवं उपलब्ध विधिक उपबन्ध आलोक में परीक्षण सहित विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर समुचित विचारण पश्चात न्यायहित में समीचीन है कि उक्त मृतक उर्फ कजोडया उर्फ कजोडमल पुत्र कुंजा जाति गुर्जर निवासी झींझण, सरूण्डला की राजस्व अभिलेखान्तर्गत दर्ज समस्त अभिधृति में एकमात्र प्राप्त जीवित वारिस नर्बदा के नाम विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर एवं संबंधित पटवार हल्का को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजस्व अभिलेखान्तर्गत दर्ज उक्त मृतक की समस्त अभिधृति राजस्व अभिलेखान्तर्गत दर्ज में जीवित वारिस नर्बदा के नाम नामांतरकरण की कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करने के आदेश पारित किये गये हैं। जिसकी पालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा नामान्तरकरण 182 दिनांक 30.12.2024 ग्राम सरूण्डला एवं नामान्तरकरण संख्या 167 दिनांक 30.12.2024 ग्राम झीझण स्वीकृत किये गये है।

3. तहसीलदार सिकराय जिला दौसा के निर्णय दिनांक 27.12.2024 एवं तहसीलदार सिकराय जिला दौसा के निर्णय दिनांक 27.12.2024 की पालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण 182 दिनांक 30.12.2024 ग्राम सरूण्डला एवं नामान्तरकरण संख्या 167 दिनांक 30.12.2024 ग्राम झीझण से व्यथित होकर अपीलान्ट मंगी उर्फ कौशल्या देवी द्वारा यह अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार सिकराय जिला दौसा के निर्णय दिनांक 27.12.2024 एवं तहसीलदार सिकराय जिला दौसा के निर्णय दिनांक 27.12.2024 की पालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण 182 दिनांक 30.12.2024 ग्राम सरूण्डला एवं नामान्तरकरण संख्या 167 दिनांक 30.12.2024 ग्राम झीझण निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. तीनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर लिखित बहस के अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अपीलाण्ट ने उपरोक्त अनुवानी तीन अपीलें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय के निर्णय दिनांक 27.12.2024 प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) राज. भू राजस्व अधि. प्रकरण संख्या 7/2024 व निर्णय तहसीलदार सिकराय बाबत नामान्तकरण संख्या 167 दिनांक 30.12.2024 ग्राम झींझण व निर्णय न्यायालय तहसीलदार सिकराय बाबत नामान्तकरण संख्या 182 दिनांक 30.12.2024 ग्राम सरूण्डला के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध, प्रक्रिया नियमों व दस्तावेजों व साक्ष्य के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 के मृतक पिता स्व. कजोड उर्फ कजोडया पुत्र कुंजा की विरासत के नामान्तकरण के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 135(2) भू राज. अधि. के तहत प्रकरण संख्या 7/2024 अनुवानी नर्बदा देवी बनाम राज. सरकार दिनांक 11.11.2024 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व वारिसान के सम्बन्ध मे जांच रिपोर्ट हेतु भू अभि० निरीक्षक व सरपंच से रिपोर्ट तलब की गई व साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु लिखा गया तथा तारीख पेशी दिनांक 19.11.2024 नियत की गई। दिनांक 19.11.2024 को प्रकरण मे शपथ पत्र पेश किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का ने दिनांक दिनांक 09.11.2024 व दिनांक 11.11.2024 को वारिसान की जांच रिपोर्ट पेश की तथा संरपच ग्राम पंचायत सरूण्डला ने दिनांक 28.11.2024 को वारिसान के सम्बन्ध मे प्रमाण पत्र पेश किया तथा प्रमाण पत्र पर वार्ड पंचों के हस्ताक्षर भी है। पटवारी की जांच रिपोर्ट व सरपंच के प्रमाण पत्र में मृतक कजोड पुत्र कुंजा के वारिस अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 को प्रमाणित किया गया है। तथा अपीलाण्ट ने अपना जन आधार कार्ड प्रस्तुत किया था जिसमे अपीलाण्ट के पिता का नाम कजोड व माता का नाम पार्वती देवी अंकित है। जिससे भी अपीलाण्ट का मृतक कजोड की पुत्री होना सिद्ध है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों व दस्तावेजों तथा साक्ष्य को इग्नोर करते हुये रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से दिनांक 27.12.2024 को प्रकरण अन्तर्गत धारा 135 (2) राज. भू राजस्व अधि. प्रकरण संख्या 7/2024 को आलोच्य निर्णय पारित किया गया तथा आनन फानन में दिनांक 30.12.2024 को नामान्तकरण संख्या 167 ग्राम झींझण व नामान्तकरण संख्या 182 ग्राम सरूण्डला तस्दीक कर दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय ने विधि विरूद्ध तरीके से दस्तावेज तथ्यों व शपथ पत्रों को इग्नोर करते हुये वास्तविकता के विपरीत रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है।

वाके ग्राम सरूण्डला तहसील सिकराय में भूमि खसरा नम्बर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 कुल किता 9 कुल रकबा 8.85 है०, खसरा नम्बर 1 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 2 रकबा 0.01 है० खसरा नम्बर 3 रकबा 4.29 है0 तथा ग्राम झीझण तहसील सिकराय में भूमि खसरा नम्बर 107 रकबा 0.71 है0, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 26 रकबा 1.08 है०, खसरा नम्बर 32 रकबा 0.82 है०, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.06 है०, खसरा नम्बर 262 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 263 रकबा 0.04 है० स्थित है। उपरोक्त भूमि में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 के पिता कजोड उर्फ कजोड्या पुत्र कुंजा जाति गुर्जर का ग्राम झीझण मे हिस्सा 1/2 व ग्राम सरूण्डला में हिस्सा 1/4 था। अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पिता कजोड उर्फ कजोडया पुत्र कुंजा की दिनांक 09.05.2023 का मृत्यु हो चुकी है जिसकी कानूनी वारिस अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 है। अपीलाण्ट के पिता मृतक पिता कजोड उर्फ कजोड्या पुत्र कुंजा जाति गुर्जर का सजरा निम्न है :–

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

कजोड उर्फ कजोडया पुत्र कुंजा गुर्जर (फौत)

पार्वती देवी (पत्नि फौत)	मंगी उर्फ कौशल्या (पुत्री अपीलान्ट)	नर्बदा (पुत्री रेस्पो0 1)	प्रेम (पुत्री अविवाहित लाऔलाद फौत)

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने अपने पक्ष के समर्थन मे स्वयं अपीलान्ट व रामअवतार गुर्जर उम्र 47 वर्ष पुत्र श्री हरकेश गुर्जर निवासी झीझण, हरेत गुर्जर उम्र 47 वर्ष पुत्र श्री सुमरल्या गुर्जर निवासी झीझण, रामफूल गुर्जर उम्र 79 पुत्र श्री गुठठलराम गुर्जर निवासी झीझाण, मोतीलाल गुर्जर उम्र 70 वर्ष श्री हरसहाय गुर्जर निवासी झीझण, गिर्राज प्रसाद गुर्जर उम्र 65 वर्ष पुत्र श्री कंचन गुर्जर निवासी झीझण, गंगासहाय गुर्जर उम्र 82 वर्ष पुत्र श्री मेवाराम गुर्जर निवासी झीझण, गंगासहाय गुर्जर उम्र 65 वर्ष पुत्र श्री रामधन गुर्जर निवासी झीझण, श्रीया गुर्जर पुत्र धन्नाराम गुर्जर निवासी झीझण, उम्मेद गुर्जर उम्र 57 वर्ष पुत्र श्री राम गुर्जर निवासी सरूण्डला, रामेश्वर प्रसाद गुर्जर उम्र 67 साल पुत्र श्री खवानी राम गुर्जर निवासी सरूण्डला, प्रहलाद गुर्जर उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री मूलचन्द गुर्जर निवासी सरूण्डला, बाबूलाल गुर्जर उम्र 46 पुत्र रामलाल गुर्जर निवासी राजाहेडा, शिवचरण गुर्जर उम्र 53 वर्ष पुत्र रामलाल गुर्जर निवासी राजाहेडा के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जो कि उम्र दराज व ग्राम झीझण व सरूण्डला के निवासी है तथा अपीलाण्ट व रेस्पो० नम्बर 1 के मृतक पिता कजोड उर्फ कजोडया पुत्र कुंजा के परिवार से भली भांति परिचित है तथा गांव के ही है तथा सरपंच ग्राम पंचायत ने भी वार्ड पंचों के हस्ताक्षर शुदा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें सभी ने मृतक कजोड उर्फ कजोडया की वारिस अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 को होना बताया है। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से आलोच्य निर्णय दिनांक 27.12.2024 को पारित किया गया है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है।

वादग्रस्त आराजी ग्राम झीझण तथा वाके ग्राम सरूण्डला के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 द्वारा ग्राम लाखनपुर व भालपुर के शपथ पत्र पेश किये गये थे जो कि स्थानीय नही होकर बाहर के थे तथा लाखनपुर के थे जो कि ग्राम झीझण व सरूण्डला से काफी दूरी पर स्थित है जिन पर विश्वास नही किया जा सकता क्योंकि उनको अपीलाण्ट के पिता मृतक कजोड उर्फ कजोडया पुत्र कुंजा के सम्बन्ध जानकारी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है इन लोगों से रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 के पति रामचन्द्र ने झूठे शपथ पत्र दिलवाये है जिसका प्रमाण यह है कि नरेश कुमार बैरवा पुत्र विजयलाल निवासी जहागिरिया व विश्राव गुर्जर पुत्र गुठठलराम ने पुनः शपथ पत्र देकर कथन किया है कि रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 के पति के दबाव में आकर सम्मुख प्रस्तुत किया था जिसमें दबाव में आकर कजोड पुत्र कुंजाराम के वारिस के रूप में एक मात्र वारिस नर्बदा को ही बताया था जो कि गलत है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 के पति रामचन्द्र ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय के समक्ष षडयंत्र पूर्वक फर्जीवाडा करके अनुचित लाभ प्राप्त करने की गरज से तहसीलदार सिकराय से मिलीभगत करके सम्पूर्ण कार्यवाही की है। रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 ने स्वयं का व कमोद पुत्र अंडीसाल गुर्जर निवासी लाखनपुर, श्योजीराम पुत्र अडीसाल गुर्जर निवासी लाखनपुर, नरेश कुमार बैरवा पुत्र विजयलाल बैरवा निवासी जहागिरिया, नवल गुर्जर पुत्र उमराव गुर्जर निवासी भालपुर, राकेश गुर्जर पुत्र रामकरण गुर्जर निवासी झीझण, विश्राम गुर्जर पुत्र गुठठलराम गुर्जर निवासी झीझण के झूठे व बनावटी शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिनमे से नरेश व विश्राम ने पुनः शपथ पत्र पेश कर अपीलाण्ट कौशल्या को मृतक कजोड की पुत्री होना बताया है। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से आलोच्य निर्णय दिनांक 27.12.2024 को पारित किया गया है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने वादग्रस्त आराजी ग्राम झीझण व सरूण्डला के उम्र दराज बुजुर्ग व्यक्तियों के अपने समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किये थे जो की अति विश्वसनीय है। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से आलोच्य निर्णय दिनांक 27.12.2024 को पारित किया गया है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त तथ्यों पटवारी की वारिसान की जांच रिपोर्ट सरपंच ग्राम पंचायत सरूण्डला के प्रमाण पत्र व गांव के उम्र दराज बुजुर्ग व्यक्तियों के अपीलान्ट के पक्ष में मृतक कजोड की दो पुत्रीयां अपीलान्ट व रेस्पो० नम्बर 1 होना सिद्ध करने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त सभी तथ्यों व दस्तावेजों व साक्ष्यों को नजर अंदाज करके रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 से मिलीभगत व

सांठ गांठ करके दिनांक 27.12.2024 को आलोच्य आदेश पारित कर रेस्पो० नम्बर 1 के हक में अपीलांट के पिता मृतक कजोड उर्फ कजोडया पुत्र कुंजा की विरासत का नामान्तकरण रेस्पो० नम्बर 1 के हक में खोलने का आदेश पारित कर दिया। जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 167 ग्राम झीझण व नामान्तकरण संख्या 182 ग्राम सरूण्डला दिनांक 30.12.2024 को अवैध तरीके से तस्दीक कर दिये गये। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का ने दिनांक दिनांक 09.11.2024 व दिनांक 11.11.2024 को वारिसान की जांच रिपोर्ट पेश की तथा संरपच ग्राम पंचायत सरूण्डला ने दिनांक 28.11.2024 को वारिसान के सम्बन्ध मे प्रमाण पत्र पेश किया तथा प्रमाण पत्र पर वार्ड पंचों के हस्ताक्षर भी है। पटवारी की जांच रिपोर्ट व सरपंच के प्रमाण पत्र में मृतक कजोड पुत्र कुंजा के वारिस अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 को प्रमाणित किया गया है। तथा अपीलाण्ट ने अपना जन आधार कार्ड प्रस्तुत किया था जिसमे अपीलाण्ट के पिता का नाम कजोड व माता का नाम पार्वती देवी अंकित है। जिससे भी अपीलाण्ट का मृतक कजोड की पुत्री होना सिद्ध है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यो व दस्तावेजों तथा साक्ष्य को इग्नोर करते हुये रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से आलोच्य निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय ने कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है।

रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष जन आधार के सम्बन्ध में झूठी शिकायत की गई जिसकी जांच उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिती सिकन्दरा से करवाई गई जिसमें अपीलाण्ट का जन आधार कार्ड जांच रिपोर्ट अनुसार सही होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसकी नकलें उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाण्ट को नहीं देने पर माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयुपर पीठ के समक्ष अपीलाण्ट ने एस. बी. सिविल रिट पिटिशन नम्बर 19910/2025 अनुवानी श्रीमती कौशल्या देवी बनाम राज सरकार प्रस्तुत की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चार सप्ताह में नकल देने के आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई तारीख पेशीयां नही दी गई थी तथा मनमानी तरीके से प्रकरण को तारीख पेशीयों में रख कर आर्डर शीट लिखी गई तथा पत्रावली में बहस भी नही सुनी गई व बिना तारीख पेशी दिये बिना ही मनमाने तरीके से दिनांक 27.12.2024 को निर्णय पारित कर दिया गया इस बात का प्रमाण यह भी है कि अपीलाण्ट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय दौसा के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय के विरूद्ध स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या 46/2024 अनुवानी मंगी उर्फ कौशल्या देवी बनाम श्री हेमेन्द्र मीना दिनांक 27.12.2024 को ही प्रस्तुत कर दिया था। जिसकी रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 को भनक लगते ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.12.2024 में ही निर्णय पारित कर दिया गया। तहसीलदार सिकराय श्री हेमेन्द्र मीना के विरूद्ध अलवर जिले के राजगढ व टहला में सरकारी जमीन 2000 बीघा के गलत आंवटन किये जाने के सम्बन्ध में प्रशासनिक कार्यवाही की गई है उस समय श्री हेमेन्द्र मीना वहां पर नायब तहसीलदार के पद पर थे। गिरदावर अजय गुप्ता के खिलाफ भी तहसील सिकराय में कार्यरत रहते हुये भ्रष्टाचार के आरोप लगे है तथा उनको उपखण्ड अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस दिये हुये है। उप महानिरीक्षक व उप पंजीयक व मुद्रांक विभाग वृत्त जयपुर तृतीय द्वारा स्टांम्प ड्यूटी के नाम पर समान खसरा नम्बरों में इल्लीगल नोटिस निकाल कर वसूली करने के आरोप में नोटिस जारी किये गये है। इस प्रकार तहसीलदार श्री हेमेन्द्र मीना व गिरदावर अजय गुप्ता भ्रष्टाचार में लिप्त है तथा आलोच्य निर्णय भी रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 द्वारा तहसीलदार व गिरदावर से मिलीभगत करके भ्रष्टाचार पूर्ण तरीके से ट्रांसफर प्रार्थना पत्र न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय दौसा के समक्ष विचाराधीन होने तथा उसकी तहरीर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर देने के बावजूद भी अवैध पारित करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्तनीय है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाने की कृपा करें तथा अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 के पिता कजोडया पुत्र कुंजा के हिस्से की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

भूमि का नामान्तकरण अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 के हक में 1/2 – 1/2 हिस्से का तस्दीक करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

6. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नर्बदा देवी पुत्री कजोडमल गुर्जर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय जिला दौसा के समक्ष प्रार्थिया द्वारा पिता की खातेदारी की भूमि में विरासत का नामान्तरकरण दर्ज कराने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मेरे पिता का स्वर्गवास दिनांक 09.05.2023 को हो चुका है। मेरे पिता की भूमि वाके मौजा ग्राम सरूण्डला पटवार मण्डल सरूण्डला के खाता संख्या 130–111 के खसरा नम्बर 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 व खाता संख्या 130–110 के खसरा नम्बर 1, 2, 3 व ग्राम झींझण पटवार मण्डल सरूण्डला के खाता नंबर 116 व खाता संख्या 38–35 के ख0नं0 273 व खाता सं0 42–40 के खसरा नं0 262, 263 पर खातेदारी दर्ज है। जिनके हम वारिसान निम्न सजरा के अनुसार है:–

कजोडमल गुर्जर पुत्र कुंजा राम गुर्जर (फौत)

T

नर्बदा देवी (पुत्री)

उपरोक्त सजरा के अतिरिक्त अन्य कोई विधिक वारिस अथवा गोद गया हुआ नहीं है। उक्त वर्णित सजरा के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का निवेदन किया गया। जिस पर तहसीलदार सिकराय ने प्रकरण धारा 135 (2) के तहत दर्ज किया गया। तहसीलदार सिकराय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.12.2024 द्वारा उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा के समक्ष पटल पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज, प्रार्थना पत्र, गवाहों के बयानात, ग्राम पंचायत/सरूण्डला सहित वर्तमान एवं भूतपूर्व ख्यातिप्राप्त स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अधिप्रमाणन एवं भू–अभिलेख निरीक्षक के प्रतिवदेन के सूक्ष्म, अवलोकन, ध्यानपूर्वक पठन, गहन चिंतन, स्वतंत्र मनन एवं उपलब्ध विधिक उपबन्ध आलोक में परीक्षण सहित विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर समुचित विचारण पश्चात न्यायहित में समीचीन है कि उक्त मृतक उर्फ कजोडया उर्फ कजोडमल पुत्र कुंजा जाति गुर्जर निवासी झींझण, सरूण्डला की राजस्व अभिलेखान्तर्गत दर्ज समस्त अभिधृति में एकमात्र प्राप्त जीवित वारिस नर्बदा के नाम विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं संबंधित पटवार हल्का को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजस्व अभिलेखान्तर्गत दर्ज उक्त मृतक की समस्त अभिधृति राजस्व अभिलेखान्तर्गत दर्ज में जीवित वारिस नर्बदा के नाम नामांतरकरण की कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करने के आदेश पारित किये गये हैं। तहसीलदार सिकराय जिला दौसा द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.12.2024 एवं तहसीलदार सिकराय जिला दौसा के निर्णय दिनांक 27.12.2024 की पालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा नामान्तरकरण 182 दिनांक 30.12.2024 ग्राम सरूण्डला एवं नामान्तरकरण संख्या 167 दिनांक 30.12.2024 ग्राम झींझण स्वीकृत किये गये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार सिकराय जिला दौसा द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन के निर्णय दिनांक 27.12.2024 एवं तहसीलदार सिकराय जिला दौसा के निर्णय दिनांक 27.12.2024 की पालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा नामान्तरकरण 182 दिनांक 30.12.2024 ग्राम सरूण्डला एवं नामान्तरकरण संख्या 167 दिनांक 30.12.2024 ग्राम झींझण स्वीकृत किये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उभयपक्षों की बहस से जाहिर होता है कि उभयपक्षों में मुख्य विवाद कजोडमल गुर्जर पुत्र कुंजाराम गुर्जर

की विरासत को लेकर है। हाल अपीलान्ट मंगी उर्फ कौशल्या देवी व हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नर्बदा देवी दोनों ही मृतक कजोडमल गुर्जर पुत्र कुंजा की पुत्री बताती है जबकि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नर्बदा देवी अपने आप को मृतक कजोडमल गुर्जर की एकमात्र वारिस बताती है। हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नर्बदा देवी पुत्री कजोडमल गुर्जर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय जिला दौसा के समक्ष अपने पिता की खातेदारी की भूमि में विरासत का नामान्तरकरण दर्ज कराने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर पटवारी हल्का सरूण्डला ने तहसीलदार सिकराय को दिनांक 11.11.2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर पक्षकारान को सुनवाई के पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए धारा 135 (2) के तहत सुस्पष्ट आदेश फरमाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय जिला दौसा को निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय जिला दौसा ने विरासत विवादित होने के कारण प्रकरण 135(2) में दर्ज कर वारिसान के संबंध में जांच रिपोर्ट हेतु भू.अभि.निरीक्षक व सरपंच को लिखा गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत गवाहान द्वारा लगातार अपने बयान प्रतिकूल प्रस्तुत किये जाने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त अचलपुरा से समुचित जांच पश्चात् प्रतिवेदन लिया गया। प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 13.12.2024 अनुसार "मृतक कजोड पुत्र कुंजा जाति गुर्जर निवासी झींझण के वारिसान की जांच करवायी गई। मृतक कजोड पुत्र कुंजा व मूल्या पुत्र कुंजा जाति गुर्जर निवासी झींझण दो भाई थे। पहले मूल्या पुत्र कुंजा की मृत्यु हो गई थी। मूल्या पुत्र कुंजा के तीन वारिस पार्वती (बेवा), प्रहलाद (पुत्र), कौशल्या (पुत्री) होना जाहिर किया। तदोपरांत कजोड व पार्वती से दो पुत्री नर्बदा व प्रेम पैदा हुई। चूंकि उक्त विवाद पैतृक संपत्ति से संबंधित है। प्रहलाद, कौशल्या व नर्बदा तीनों एक ही माता से पैदा हुए हैं। इनके रिश्तेदारों से जानकारी करने पर भी यह तथ्य सामने आया है कि मृतक कजोड के सिर्फ नर्बदा ही वैध वारिस है।"

नर्बदा देवी स्वयं को मृतक कजोड़ का वैध वारिस होने के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल रही है, जबकि मंगी उर्फ कौशल्या देवी मृतक कजोड़ की पुत्री होने में निर्विवाद समर्थन करने में पूर्णतः सफल नहीं रही है। जबकि इस विवादित तथ्य को निर्विवादित रूप से साबित करने का भार मंगी उर्फ कौशल्या पर ही रहा है। इसी संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय को प्राप्त तथ्यानुसार मंगी उर्फ कौशल्या देवी के पति भारतीय रक्षा मंत्रालय से सेवानिवृत होकर पेंशन प्राप्त है, जिसमें विवाह प्रमाण–पत्र/प्रमाणन अनिवार्य है। नर्बदा देवी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त विवाह प्रमाण–पत्र न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज की मांग किये जाने पर मंगी उर्फ कौशल्या द्वारा इन्कार किया जाना स्वयं की पैरवी न करने या साक्ष्य छिपाना सदृश्य प्रतीत होता है। जैसा की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119(g) में उपबंधित है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय जिला दौसा ने उपलब्ध समस्त दस्तावेज, प्रार्थना–पत्र, प्रमाण–पत्र, अभिलेख, शपथ–पत्र, बयान, पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के सूक्ष्म अवलोकन, पठन एवं गहन चिंतन, स्वतंत्र मनन पश्चात उपलब्ध विधिक उपबंधालोक में परीक्षण अनुसार यह पाया कि उक्त मृतक कजोड़ उर्फ कजोड्या पुत्र कुंजा जाति गुर्जर निवासी झींझण, सरूण्डला राजस्व रिकॉर्ड में अभिलिखित खातेदार है। उक्त मृतक खातेदार की मृत्यु दिनांक 09.05.2023 को हो चुकी है। उक्त मृतक खातेदार अपने जीवनकाल में कोई टेस्टामेंटरी दस्तावेज निष्पादित नहीं होने से समस्त कृषि भूमि की नामान्तरकरण की कार्यवाही न्यागमन/विरासत अनुसार अपेक्षित है। उक्त मृतक खातेदार के प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार वर्तमान में जीवित वारिस के रूप में एक पुत्री नर्बदा है। न्यायहित में उक्त प्रकरण में उक्त मृतक कजोडमल पुत्र कुंजा जाति गुर्जर के एकमात्र प्राप्त जीवित नर्बदा के नाम उक्त मृतक की समस्त अभिधृति में विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किया जाना न्यायोचित के आधार ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.12.2024 द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर एवं संबंधित पटवार हल्का को निर्देशित किया गया है कि उक्त राजस्व अभिलेखान्तर्गत दर्ज उक्त मृतक की समस्त अभिधृति राजस्व अभिलेखान्तर्गत दर्ज में जीवित वारिस नर्बदा के नाम नामांतरकरण की कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करने के आदेश पारित किये गये हैं, जिसमें किसी प्रकार की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.12.2024 एवं तहसीलदार सिकराय जिला दौसा के निर्णय दिनांक 27.12.2024 की पालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण 182 दिनांक 30.12.2024 ग्राम सरूण्डला एवं नामान्तरकरण संख्या 167 दिनांक 30.12.2024 ग्राम झीझण में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2024 की पालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण 182 दिनांक 30.12.2024 ग्राम सरूण्डला एवं नामान्तरकरण संख्या 167 दिनांक 30.12.2024 ग्राम झीझण को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर